



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221869  
CG-DL-E-22092020-221869

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2867]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942

No. 2867]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2020

का. आ.3215(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 के साथ पठित धारा 14 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता व्यूरो के साथ परामर्श से भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2670 (अ)तारीख 16 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) "1 अप्रैल, 2018" अंकों और शब्दों, जहाँ कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "1 जनवरी, 2021" अंक और शब्द रखे जायेंगे;
- (ii) खंड (2) में,
  - (क) उप-खंड (i) में विद्यमान सारणियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

## सारणी 1 (क)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 टन और ऊपर	4x2	$Y=0.362X+10.327$
16.2टन और ऊपर	6x2	$Y=0.603X+6.415$
16.2 टन और ऊपर	6x4	$Y=0.723X+4.482$
25.0 टन और ऊपर	8x2	$Y=0.527X+8.333$
25.0 टन और ऊपर	8x4	$Y=0.928X-0.658$
31.0 टन और ऊपर	10x2	$Y=0.960X-5.100$

## सारणी 1 (ख)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ठोस यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 – ठोस यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 टन और ऊपर	4x2	$Y=0.788X+9.003$
16.2टन और ऊपर	6x2	$Y=0.755X+9.546$
16.2टन और ऊपर	6x4	$Y=1.151X+3.122$
25.0टन और ऊपर	8x2	$Y=0.650X+12.160$
25.0टन और ऊपर	8x4	$Y=0.968X+7.692$
31.0टन और ऊपर	10x2	$Y=0.650X+12.160$

## सारणी 1 (ग)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 – ट्रैक्टर ट्रेलरयानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रैक्टर ट्रेलर		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2टन और ऊपर	4x2	$Y=0.986X-7.727$
0.2टन और ऊपर	6x2	$Y=0.628X+6.648$
40.2टन और ऊपर	6x4	$Y=1.255X-18.523$

## सारणी 1 (घ)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एन3 –ट्रैक्टर ट्रेलरयानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एन3 –ट्रैक्टर ट्रेलर		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
35.2टन और ऊपर	4x2	$Y=0.208X+32.198$
40.2टन और ऊपर	6x2	$Y=0.628X+15.298$
40.2टन और ऊपर	6x4	$Y=1.342X-13.390$

## सारणी 1 (इ.)

40 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

40 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 टन और ऊपर	4x2 और 6x2	$Y=0.509X+11.062$

## सारणी 1 (च)

60 कि. मी. / घंटा के प्रवर्ग एम3 –यानों के लिए

60 कि. मी. / घंटा एम3 –यान		
सकल यान भार श्रेणी	एक्सल विन्यास	लक्ष्य ईंधन खपत (1/100 कि. मी.) व्युत्पन्न के लिए समीकरण
12.0 टन और ऊपर	4x2 और 6x2	$Y=0.199X+19.342$

जिसमें,  $X = \text{टन में सकल यानभार}$  $Y = \text{लीटर} / 100 \text{ कि. मी. में सामान्य मान (ईंधन खपत)}$ 

(ख)उप खंड (ii) और उससे संबंधित सभी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) सन्नियमों को, उपरोक्त बीएस-IV मानक मूल्यों पर एक उपयुक्त सुधारकारक लागू करके, केवल बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने वाले यानों के लिए लागू किया जायेगा। उपयोग किए जाने वाले सुधार कारक को विद्युत मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति द्वारा व्युत्पन्न किया जायेगातथा सक्षम प्राधिकारी के सम्यक अनुमोदन से ऊर्जा दक्षता व्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जायेगा।"

(iv) खंड (6), के उपखंड (3) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 10/9/2019-ईसी]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

**टिप्पणि :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड-(ii) में संख्यांक सा. का. नि 2670(अ), तारीख 16 अगस्त 2017 द्वारा प्रकाशित की गयी थी।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st September, 2020

**S.O. 3215 (E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 14 read with section 18 of the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power, number S.O. 2670 (E), dated the 16<sup>th</sup> August 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> April, 2018” and “1<sup>st</sup> day of April, 2018”, wherever they occur, the figures, letters and words “1<sup>st</sup> January, 2021” and “1<sup>st</sup> day of January, 2021”, shall respectively be substituted;

(ii) in clause (2) –

(a) in sub-clause (i), for the existing tables, the following tables shall be substituted, namely: -

**“Table 1(a)**

For category N3- Rigid vehicles at 40 km/h

N3 Rigid vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 tonnes and above	4x2	$Y=0.362X+10.327$
16.2 tonnes and above	6x2	$Y=0.603X+6.415$
16.2 tonnes and above	6x4	$Y=0.723X+4.482$
25.0 tonnes and above	8x2	$Y=0.527X+8.333$
25.0 tonnes and above	8x4	$Y=0.928X-0.658$
31.0 tonnes and above	10x2	$Y=0.960X-5.100$

**Table 1(b)**

For category N3- Rigid vehicles at 60 km/h

N3 Rigid vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 tonnes and above	4x2	$Y=0.788X+9.003$
16.2 tonnes and above	6x2	$Y=0.755X+9.546$
16.2 tonnes and above	6x4	$Y=1.151X+3.122$
25.0 tonnes and above	8x2	$Y=0.650X+12.160$
25.0 tonnes and above	8x4	$Y=0.968X+7.692$
31.0 tonnes and above	10x2	$Y=0.650X+12.160$

**Table 1(c)**

For category N3- Tractor Trailer vehicles at 40 km/h

N3 Tractor Trailer at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2 tonnes and above	4x2	$Y=0.986X-7.727$
40.2 tonnes and above	6x2	$Y=0.628X+6.648$
40.2 tonnes and above	6x4	$Y=1.255X-18.523$

**Table 1(d)**

For category N3- Tractor Trailer vehicles at 60 km/h

N3 Tractor Trailer at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
35.2 tonnes and above	4x2	$Y=0.208X+32.198$
40.2 tonnes and above	6x2	$Y=0.628X+15.298$
40.2 tonnes and above	6x4	$Y=1.342X-13.390$

**Table 1(e)**

For category M3- Vehicles at 40 km/h

M3 Vehicles at 40 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	$Y=0.509X+11.062$

**Table 1(f)**

For category M3- Vehicles at 60 km/h

M3 Vehicles at 60 km/h		
Gross vehicle weight range	Axle configuration	Equation for deriving target fuel consumption (l/100km)
12.0 and above	4x2 and 6x2	$Y=0.199X+19.342$

Wherein, X = Gross vehicle weight in tonnes

Y = Normalized value (fuel consumption) in litres/100kms";

- (b) Sub clause (ii) and all the entries relating thereto shall be omitted;
- (iii) for clause (5), following clause shall be substituted namely:-
- “(5) The norms shall apply only for vehicles complying with BS-VI emission norms by applying a suitable correction factor on the above-mentioned BS-IV norm values. The correction factor to be used shall be derived by a committee comprising members from the Ministry of Power, the Ministry of Road Transport and Highways and the Ministry of Petroleum and Natural Gas and shall be published by the Bureau of Energy Efficiency with due approval by the competent authority.”;
- (iv) in clause (6), sub-clause (3) shall be omitted.

[F. No: 10/9/2019-EC]

RAJ PAL, Economic Advisor

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2670 (E), dated the 16<sup>th</sup> August 2017.